भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1271

09 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए

आवासन तथा निर्माण

1271. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि कुछ महीनों से आवासन और निर्माण परियोजनाएं मंदी का सामना कर रही हैं, जिसमें डीलर तथा खरीददार रॉड, बार तथा तार जैसे बड़े इस्पात उत्पादों में कमी बता रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त में कमी का कारण लौह अयस्क की उपलब्धता में कमी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु नियोजित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)

(क) से (घ): चालू वर्ष में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में प्रयुक्त लंबे इस्पात उत्पादों के उत्पादन एवं खपत का माह-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है, जिससे प्रदर्शित होता है कि घरेलू स्तर पर लंबे उत्पादों की कोई कमी नहीं है:-

माह	**कुल लंबे उत्पाद (बार्स, रॉड्स, स्ट्रक्चरल्स और रेलवे सामग्री)**	
	उत्पादन	**खपत**
अप्रैल, 21	4835	4992
मई, 21	4144	4264
जून, 21	4477	4459
जुलाई, 21	4481	4381
अगस्त, 21	4935	4654
सितंबर, 21	4883	4603
अक्टूबर, 21	5088	4840
नवंबर, 21	4803	4469
दिसंबर, 21	5243	5037
कुल (अप्रैल-दिसंबर, 21)	42889	41699
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); अनंतिम; मान हजार टन में		

अप्रैल 21 से दिसंबर, 21 तक लंबे उत्पादों का कुल उत्पादन खपत से अधिक था। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा कच्चे माल की उपलब्धता और मूल्य स्थिरता के लिए अनेक उपाय किए गए, इनमें शामिल हैं:-

(i) केन्द्रीय बजट, 2021-22 में गैर-मिश्र धातु, मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील के सेमीज फ्लैट और लॉन्ग उत्पादों पर सीमा शुल्क को समान रूप से कम करके 7.5% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इस्पात स्क्रैप पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को 31 मार्च, 2022 की अवधि तक छूट दी गई है। उपर्युक्त के अलावा, कुछ इस्पात उत्पादों पर पाटन-रोधी शुल्क (एडीडी) और प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) को भी हटाया/अस्थायी रूप से हटाया गया है।

(ii) केन्द्रीय बजट 2022-23 में, स्टेनलेस स्टील के उत्पादों पर प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) को हटाया गया है। साथ ही, एमएसएमई के द्वितीयक इस्पात उत्पादकों को राहत प्रदान करने हेतु स्टेनलेस स्टील स्क्रैप पर सीमा शुल्क छूट को एक साल और अर्थात 31.03.2023 तक बढ़ा दिया गया है।

(iii) लौह अयस्क एवं इस्पात की उपलब्धता में वृद्धि लाना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (क) लौह अयस्क के उत्पादन/उपलब्धता को बढ़ाने हेतु खनन एवं खनिज नीति में सुधार और (ख) समपहृत (फॉर्फिटिड) कार्यशील खदानों का शीघ्र प्रचालन शामिल है।

(iv) घरेलू स्तर पर सृजित स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

(v) आवास/निर्माण क्षेत्र में कार्यरत द्वितीयक और एमएसएमई क्षेत्र के इस्पात उद्योग को राहत प्रदान करने के लिए, 8 एमएम से कम के टीएमटी बार को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के दायरे से छूट दी गई है क्योंकि ये मुख्य रूप से गैर-महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं।

****